दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 04 अगस्त 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 305

महत्वपूर्ण एवं खास

गरीब कल्याण अन्न योजना में दिवाली तक दिया जाएगा मुफ्त राशन : पीएम

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को हताश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और दीपावाली तक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में पलायन करने वाले मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिला है। देश के लोगों को भूखा सोने नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में खाद्य भंडार तो जरूर बढ़े, लेकिन कुपोषण में कमी नहीं आई। हालांकि, इस योजना से हमारी सरकार ने करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया और आज उचित लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज आयुष्मान भारत स्कीम का करोड़ों भारतीय फायदा उठा रहे हैं। पीएम ने लाभार्थियों से कहा कि गरीबों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है।

दो साल में 1.24 लाख से अधिक मवेशियों की हुई जब्ती

भारत से तस्करी कर भेजे जा रहे थे बांग्लादेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत से बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। हर साल हजारों की संख्या में मवेशियों की तस्करी होती है। तस्करी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री निसिध प्रमाणिक ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि 2019 और 2020 में तस्करी के लिए बांग्लादेश भेजे रहे 1.24 लाख से अधिक मवेशियों को सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 में 77,410 मवेशी जब्त किए गए और 2020 में 46,809 मवेशी जब्त किए गए। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों ने 1163 तस्करों को भी पकड़ा है। प्रमाणिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें चौबीसों घंटे निगरानी, गश्त और निगरानी चौकी की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, बीएसएफ कर्मियों की संख्या में वृद्धि की गई है, सीमा पर बाड़ लगाने और फ्लड लाइटिंग का निर्माण किया जा रहा है।

ब्राजील में 389 और कोरोना संक्रमितों की हुई मौत

रियो डी जनेरियो। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,143 नये मामले सामने आये वहीं 389 और मरीजों की मौत हो गई। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक करोड़ 99 लाख 53 हजार 501 हो गया तथा इस बीमारी से मरने वालों की संख्या पांच लाख 57 हजार 223 हो गयी है। औसत आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील में पिछले एक सप्ताह के दौरान औसतन 35,120, मामले सामने आये वहीं दैनिक मौतों की औसत संख्या 960 रही।

संसद से मिली दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिली गई। विभिन्न विषयों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच राज्यसभा ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा।

सदन में विधेयक को चर्चा एवं पारित होने के लिये रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता विधेयक लागू हुए पांच साल हुए हैं। इन पांच वर्षों में देश की कारोबारी सुगमता की स्थिति में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा

कि कारोबारी सुगमता में भारत की रैंकिंग आज बेहतर होकर 52वीं हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर कुछ दिक्कतें आई जिससे इस संशोधन की जरूरत महसूस हुई। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में बीजू जनता दल (बीजद) के डॉ अमर पटनायक ने कहा कि इससे न केवल कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे एमएसईएम को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्नाद्रमुक के ए थंबीदुरई ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक कारोबारियों के लिए मददगार होगा जो कोविड महामारी की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। माकपा के जॉन ब्रिटस ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालेगा और इससे परेशानियां बढ़ेंगी। तेदेपा के कनकमेदला रवींद्र कुमार ने कहा कि यह विधेयक आज के समय की चुनौतियों के समाधान के लिए लाया गया है। इसमें एमएसईएम क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है, यह अत्यंत सराहनीय है। वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि वह और उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करते हैं। उन्होंने विधेयक को लेकर कुछ सुझाव दिए और आंध्र प्रदेश की ओर से ऊर्जा क्षेत्र में की मांग पर विचार करने का अनुरोध भी किया। भाकपा के विनय विश्वम ने विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया कि इसके प्रावधानों से जनता के पैसे की बर्बादी होगी। टीआरएस के डॉ बंदा प्रकाश ने कहा कि निगम दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये व्यक्तिक्रम की न्यूनतम रकम एक करोड़ रूपये से बढ़ाना सराहनीय है।

चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने महामारी के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिये अनेक उपाए किये हैं। यह विधेयक संकट के इस दौर में न केवल कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगा बल्कि एमएसईएम क्षेत्र के लिए भी मददगार होगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष द्वारा अध्यादेश के खिलाफ लाए गए सांविधिक संकल्प को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था। इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था (प्री पैकेज्ड) के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। इसके तहत अधिकृत प्रतिनिधि की पहचान और चयन, सार्वजनिक घोषणा और संबंधित पक्ष के दावे, मसौदे की जानकारी, कर्जदाता और कर्जदाता समिति की बैठक करने, विवाद निपटान योजना का आमंत्रण, मूल विवाद निपटान और सबसे अच्छे विवाद निपटान के बीच प्रतिस्पर्धा तथा कॉरपोरेट कर्जदार के साथ विवाद निपटान पेशेवरों के साथ प्रबंधन जैसी सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सभी प्रस्तावों की योजनाएं राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के तहत मंजूर होना जरूरी है।

पर्यटन के वास्ते पक्की सड़कें विकसित करने की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत रेखांकित करते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से संपर्क बढ़ाने के वास्ते सड़कों के किनारे की सुविधाओं के साथ पक्की सड़कों को विकसित करने के लिए नीति तैयार की जाए।

विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2021-22) के संबंध में अपने 288वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर अपना 298वां प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा। प्रतिवेदन में समिति ने कहा है कि किसी भी पर्यटन स्थल के लिए उचित सड़क संपर्क उस विशेष स्थल की पर्यटन क्षमता निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत में अधिकतर पर्यटन स्थलों, खास कर जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्थलों के लिए उचित रेल या हवाई संपर्क नहीं है। इसलिए सड़क के माध्यम से संपर्क ही ऐसे पर्यटन स्थलों से जुड़ने का एकमात्र साधन है। समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की है कि सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के आए कम मामले

» 24 घंटों में 30,549 नए मामले, 422 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में पिछले चार दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 12 हजार कम हो गई है। पिछले हफ्ते कोरोना के आंकड़े 43 हजार के पार तक पहुंच गए थे। लेकिन पिछले लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 30,549 नए केस सामने आए हैं , जबकि 422 लोगों की मौत हुई है। जबकि इस दौरान 38,887 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के

मंगलवार को जारी आंकड़ो के अनुसार देश में 30,549 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,17,26,507 हो गयी है। आंकड़े के अनुसार संक्रमण से 422 रोगियों की मौत होने से मृतक संख्या 4,25,195 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 4,04,958 हो गयी है जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.28 प्रतिशत है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.38 प्रतिशत है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मरीजों में 8,760 की कमी आई है। दैनिक संक्रमण दर 1.85 प्रतिशत है । साप्ताहिक संक्रमण दर 2.39 प्रतिशत है।

मंत्रालय ने बताया कि रविवार को 16,49,295 नमूनों की जांच की गई जिससे देश में अब तक हुई कोविड-19 संबंधी जांच की संख्या बढ़कर 47,12,94,789 हो गई है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,08,96,354 हो गयी है जबकि मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत है। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 47.85 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।

लोकसभा में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक हुआ पारित

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच मंगलवार को 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा एवं जन-जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाये रखने का उपबंध किया गया है। यह विधेयक संबंधित 'अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021' का स्थान लेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसका मकसद यह है कि हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है। इसमें कर्मचारियों के हितों का

ध्यान रखा गया है, अतः इस विधेयक को आम-सहमति से पारित किया जाना चाहिए। इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर जो स्थिति है उससे पूरा सदन अवगत है। इसलिए हमारी सेना को आयुध की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्व का कानून 1990 में खत्म हो चुका है। आवश्यक रक्षा आयुध सेवाओं के लिए कोई कानून नहीं था। उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए मंत्रिमंडल ने 30 जून को अध्यादेश को मंजूरी दी।

भट्ट ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान विधेयक में नहीं है। रक्ष राज्य मंत्री ने सदस्यों से अपील की कि 'सभी लोग मिलकर इस विधेयक को पारित करें क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन के प्रेमचंद्रन ने 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का प्रावधान है जो संविधान में मिला मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक कामगार वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने वाला है और सदन में व्यवस्था नहीं होने पर इस विधेयक को पेश नहीं कराया जाना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि सदन नहीं चल रहा है तो इस तरह का विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पेगासस मामले पर चर्चा हो और फिर सभी मुद्दों पर चर्चा हो। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने भी विधेयक का विरोध किया। निचले सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी ।

कोरोना के कारण पाकिस्तान नहीं दे रहा करतारपुर कॉरिडोर से यात्रा की इजाजत

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेगासस जासूसी व अन्य मामलों को लेकर संसद में मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। इस बीच सरकार जरूरी कामकाज भी निपटा रही है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने भारत-पाकिस्तान के बीच बनाए गए करतारपुर कॉरिडोर को फिर खोलने की मांग के बीच लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तान किसी को भी इससे यात्रा की इजाजत नहीं दे रहा है। मार्च 2020 से इस कॉरिडोर से आवाजाही बंद है।

इस कॉरिडोर से सिख धर्मावलंबी ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा पर जाते हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्री राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल में देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद से पाकिस्तान ने भारत से सभी तरह की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। भारत व पाकिस्तान ने अक्तूबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारत के सभी पंथों के श्रद्धालू इस कॉरिडोर से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा कर सकते हैं। यह सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है।

राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली (आरएनएस)। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्रवाई याचिका दायर करने वाले एक वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील एम.एल. शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री ने क्रमांकित किया है, तो उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील शर्मा ने कहा कि मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील से कहा कि यदि यह क्रमांकित है, तो हम इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। याचिका के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से फैसला किया तथा राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले व्यक्ति की कम से कम तीन महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि फरीदाबाद के खोरी गांव में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाए जाएं और अवैध निर्माण हटाने की वीडियोग्राफी भी की जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त कर पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट पूरा करने का निर्देश भी दिया।

विपक्ष का व्यवहार- देश, संसद और लोकतंत्र का अपमान

» भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम का विपक्ष पर हमला

» मंत्री से बयान की प्रति छीनने और डेरेक के पापड़ी चाट बयान का किया जिक्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसूत्र सत्र में विपक्ष के व्यवहार को अस्वीकार्य बताते हुए इसे देश, संसद और लोकतंत्र का अपमान बताया है। भाजपा संसदीय दल की

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में टीएमसी सांसद द्वारा आईटी मंत्री के हाथ से बयान छीन कर फाड़ने, लोकसभा में कागज फाड़ कर आसन पर फेंकने और टीएमसी सांसद डेरेक ओ,ब्रायन के पापड़ी चाट संबंधी बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी संसद की मान और मर्यादा को नष्ट करने पर तुली हुई है।

सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस सत्र के दौरान विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। कार्यवाही न चल सके इसके लिए अनैतिक तरीके अपना रहा है। राज्यसभा में टीएमसी के सांसद ने मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी छीन का फाड़ा। इसी सदन में इसी पार्टी के सांसद ने विधेयकों के कानून बनाने की प्रक्रिया की तुलना पापड़ी चाट बांटने से की। पीएम ने कहा कि लोकसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने आसन पर कागज फाड़ कर फेके। यह अस्वीकार्य व्यवहार है। सरकार पहले ही दिन से कह रही है कि वह सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके बावजूद विपक्ष का अमर्यादित रवैये से सदन का अपमान हुआ है।

सरकार उठाए कदम- पीएम ने कहा कि सरकार चर्चा चाहती है। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले। इसके लिए सरकार और सांसदों को हर वह प्रयास करना चाहिए जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से चले। दोनों सदनों में जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो।

अर्थव्यवस्था-ओलंपिक की बात- पीएम ने इस दौरान ई-रुपी, जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.16 लाख रुपये तक पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। पीएम ने इस दौरान पीवी सिंधु के कांस्य पदक जीतने, महिला-पुरुष हॉकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन की भी चर्चा की। बैठक में नीट में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी कोटा लागू करने के फैसले के लिए पीएम को सम्मानित किया गया।